न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– यशपाल आहूजा आर.ए.एस.

अनवान :– अपील प्रकरण संख्या 07/2011

1. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व श्रीगंगानगर।

– – **अपीलान्ट**

–:: बनाम ::–

1. ग्राम पंचायत 4 एम.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर जरिये संरपंच ग्राम पंचायत 4 एम.एल.
2. श्रीमति दलीपकौर पत्नि तेजपाल सिंह जाति सोनी निवासी 11 सेतिया कालोनी श्रीगंगानगर

– – **रेस्पोडेन्ट**

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू. राजस्व अधिनियम 1954

–:: उपस्थित ::–

1. तहसीलदार श्रीगंगानगर — अपीलान्ट
2. सरपंच ग्राम पंचायत 4 एम.एल. — रेस्पोडेन्ट संख्या 1

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 21-5-2018

अपीलान्ट की ओर से ग्राम पंचायत 4 एम.एल. तहसील श्रीगंगानगर का इन्तकाल नम्बर 241 दिनांक 05.05.2010 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि इन्तकाल नम्बर 241 दिनांक 05.05.2010 कानुन खिलाफ वाकेआत तथा एदाद मिसल के है, इन्तकाल करने से पूर्व ना तो ग्राम पंचायत नें किसी तरह से पंचायत की मिटिंग की ना प्रस्ताव पास किया ना ही किसी कमेटी का गठन किया गया ना ही किसी तरह के मजमे आम में जांच कि गई ना ही किसी तरह से कमेटी की रिपोर्ट ली ना ही पटवारी हल्का से रिपोर्ट ली गई बल्कि सीधे ही पटवारी हल्का के इन्तकाल दर्ज करके पेश करनें पर ही तस्दीक कर दिया गया जो कि गल्त है। अतः किसी तरह से कानुनी अथवा न्यायिक प्रक्रिया को नहीं अपनाया गया है।

दर असल में रकबा अति.जिलाधीश गंगानगर के आदेश दिनांक 20.03.2008 से ही रिसीवर किया हुआ है। कब्जा रिसीवर थानेदार के पास है तथा आज तक रिसीवर आदेश निरस्त नहीं हुआ है तथा मामला जेरकार है अतः रिसीवर शुद्धा रकबा का कब्जा के अभाव में रेस्पो संख्या 2 के नाम से कानुनन इन्तकाल नहीं किया जा सकता था कब्जा के अभाव में इन्तकाल नहीं हो सकता रेस्पाडेन्ट संख्या 2 को जानकारी होते हुए कि कब्जा उसका नहीं है रिसीवर का है जानबुझकर छिपाव करके धोखे से इन्तकाल करवाया गया है।

ग्राम पंचायत को केवल विरास्तन इन्तकाल करनें का ही अधिकार है मौजूदा इन्तकाल जेर अपील कथित उपहार पत्र के आधार पर करनें का लिखा गया है मगर इस दस्तावेज के बारे में ना तो जांच की गई है ना ही दस्तावेज करनें वाले को कोई अधिकार है था ना ही कब्जा उसका था इसके अलावा ऐसे दस्तावेज के किसी गवाह के ब्यान तक लिया गया अतः इन्तकाल जेर अपील बिना कानुनी प्रक्रिया के किया गया है तथा निरस्त करनें योग्य है।

रकबा रिसीवर है कब्जा रिसीवर के पास है व दस्तावेज की जांच नहीं की गई है तो इन्तकाल का क्या आधार है मजमे आम में क्या जांच हुई मौका देखा अथवा नहीं यह [illegible] स्पष्ट नहीं किया गया है अतः इन्तकाल जेर अपील निरस्त करनें योग्य है।

तहसीलदार का आदेश दिनांक 07.04.2010 गल्त होनें व इसके आधार पर इसके आधार पर इन्काल नम्बर 240 गल्त होने से उसके खिलाफ भी अपील पेश हो चुकी है इस प्रकार से इन्तकाल नम्बर 210 ही गल्त किया गया, तो बरखादास को उपहार पत्र करनें का अधिकार नहीं था।

तहसीलदार गंगानगर को दो रोज पूर्व अचानक दैनिक फाईनर के अंक 17.03.2011 में समाचार रिसीवर शुद्धा रकबा का इन्तकाल हो गया पढ़नें पर पटवारी हल्का को बुलाकर बात की जानकारी ली तथा उच्च अधिकारियों को बताया गया व इन्तकाल करनें का कहा जानें पर अपील बिना किसी देरी के इन्तकाल की नकल लेकर पेश की जा रही है रिसीवर की नकल समाचार पत्र की कटिग की नकल भी शामिल है अपील इल्म से अन्दर मयाद पेश है।

अतः अपील पेश कर अर्ज है कि अपील स्वीकार कर अपील इन्तकाल नम्बर 241 को निरस्त करने का हुक्म फरमाया जावे इन्तकाल धोख से करवाया/किया गया है इसलिये भी निरस्त किया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिऐ रजिस्टर्ड सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को पूर्ण पता नहीं होनें के कारण तलबी नहीं होनें से तलबी को बन्द किया जाकर न्याय आपके द्वारा 2018 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत 4 एम.एल. में आयोजित राजस्व लोक अदालत में अपीलान्ट तहसीलदार श्रीगंगानगर व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 सरंपच ग्राम पंचायत 4 एम.एल. को सुना गया।

–:: आदेश ::–

हमने उभयपक्ष के कथनों पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन पाया गया कि नामान्तरकरण 241 उपहार पत्र के आधार पर दर्ज किया गया है जो ग्राम पंचायत द्वारा अपनें अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर स्वीकृत किया गया किये जानें से अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

अतः ग्राम पंचायत 4 एम.एल. द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 241 दिनांक 05.05.2010 विधि विरूद्ध स्वीकृत होनें के कारण खारिज किया जाकर प्रकरण तहसीलदार, श्रीगंगानगर को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता हैं कि वो समस्त पक्षकारान को सुनकर पुनः विधि अनुसार निर्धारित प्रक्रिया अपनाई जाकर निर्णय पारित करे।

निर्णय की प्रति तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर एंव ग्राम पंचायत 4 एम.एल. तहसील श्रीगंगानगर को प्रेषित की जावे।

आदेश आज दिंनाक 21.05.2018 को लिखवाया जाकर न्याय आपके द्वार अभियान 2018 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत 4 एम.एल. में आयोजित राजस्व लोक अदालत के मजमे आम में सुनाया गया।

(यशपाल आहूजा)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
श्रीगंगानगर